कार्यालयः उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

राजकीय आई०टी०आई० परिसर, अलीगंज, लखनऊ–226024

संख्या– 1111 /कौ०वि०मि०/2023–24 दिनांकः 27जुलाई, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 कौशल विकास मिशन में संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की समयावधि भारत सरकार द्वारा निर्धारित है परन्तु अनेक अपरिहार्य एवं सुसंगत कारणों से उक्त निर्धारित समयावधि में सम्पूर्ण कोर्स पूर्ण न कर पाने के कारण प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा समयावधि में विस्तार हेतु अनुरोध किया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर गुण दोष के आधार पर परीक्षणोपरान्त मिशन द्वारा इस प्रतिबन्ध के आधार पर समयावधि की विस्तार की अनुमन्यता प्रदान की जाती रही है कि अतिरिक्त विस्तारित अवधि में कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मिशन द्वारा जारी पत्रांक संख्या–1503/यू0पी0एस0डी0एम0/2014–15/आई0टी0–एम0आई0एस0/बायोमेट्रिक/252 दिनांक–29.07.2022 के अनुसार प्रशिक्षण प्रदाताओं को 31.07.2022 तक संचालित बैचों कि अन्तिम समय तिथि विस्तार हेतु दिया गया था एवं 31.07.2022 के पश्चात प्राप्त अनुरोध पर विचार न किये जाने के निर्देश दिये गये थे परन्तु प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा बैच की अन्तिम तिथि का विस्तार टी0पी0 लॉगिन/सेन्टर लॉगिन के द्वारा किया गया, जिस कारण बैच समय से समाप्त नहीं हो पा रहे है एवं जनपद की प्रगति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए मिशन द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप–3978/यू0पी0एस0डी0एम0/2014–15/आई0टी0–एम0आई0एस0/बायोमेट्रिक/252 दिनांक– 03.01.2023 द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं को निर्देशित किया गया कि उनके द्वारा पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि को ही प्रशिक्षण समाप्त होने की अवधि के रूप में पोर्टल पर इंगित किया जाता है तो सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाता का यह उत्तरदायित्व होगा कि सम्बन्धित जॉब रोल हेतु निर्धारित समयावधि में सम्पूर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करे। इसमें विफल होने की दशा में किन्ही भी परिस्थितियों में कोई समय विस्तार किये जाने का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा।

वर्तमान में प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा संचालित किये जाने वाले बैचों के प्रशिक्षण पूर्ण न कर पाने के सम्बन्ध में विभिन्न कारण देते हुए बैचों की अन्तिम तिथि विस्तारित कि जाने हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त हो रहे, जिस पर समयक विचारोपरान्त प्रशिक्षणार्थियों के हितो का ध्यान रखते हुए निम्न शर्तों के साथ बैचों की अन्तिम तिथि विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

1. बैचों की अन्तिम तिथि केवल वित्तीय वर्ष –2021–22, एवं 2022–23 पर ही लागू होंगे।

2. बैचों में अन्तिम तिथि विस्तार केवल उन्हीं बैचों पर लागू होंगे जिनमें न्यूनतम 55 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत या उससे अधिक पूर्ण कर ली गयी होगी।
3. उक्त बैचों को न्यूनतम 70 प्रतिशत उपस्थिति की सीमा तक विस्तारित किया जायेगा।
4. बैचों की अन्तिम तिथि हेतु मिशन द्वारा जारी प्रारूप पर प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अनुरोध सहायक निदेशक, (आई0टी0) E-mail ID dde2.lu-up@gov.in को भेजना होगा, अन्य माध्यम से प्राप्त अनुरोध पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. आई0टी0 प्रकोष्ठ द्वारा प्रशिक्षण प्रदाता से प्राप्त अनुरोध पत्रों की तर्क संगत सूचना पत्रावली प्रकोष्ठ प्रभारी (आई0टी0) के माध्यम से मिशन निदेशक महोदय, को प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
6. प्रबन्धक, आई0टी0 द्वारा प्राप्त डाटा का विश्लेषण कर यूपीएसडीएम पोर्टल पर डीएससी के माध्यम से अपलोड किया जायेगा। तत्पश्चात् सहायक निदेशक, आई0टी0 द्वारा डीएससी के माध्यम से ही अप्रूव किया जायेगा, प्रबन्धक आई0टी0 तद्नुसार माड्यूल में संशोधन करा लें।
7. बैचों की अन्तिम तिथि एक बार ही विस्तारित कि जायेगी, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदाता को प्रशिक्षण का कार्य समाप्त करना होगा, उसके पश्चात अतिरिक्त अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(आन्द्रा वामसी)
आई0ए0एस0
मिशन निदेशक

पत्रांक– /UPSDM/2014-15/IT-MIS/Biometric/252 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त प्रकोष्ठ, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, लखनऊ।
2. समस्त जिला समन्वयक एवं एम0आई0एस0 मैनेजर डी0पी0एम0यू0, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, समस्त जनपद, उ0प्र0।
3. एन0आई0सी0, उक्त से सम्बन्धित व्यवस्था सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, लखनऊ

(आन्द्रा वामसी)
आई0ए0एस0
मिशन निदेशक

S.no.	TP name	TP ID	Batch ID	Start date	End date	Total Batch size (candidate Count)	Eligible candidate As per circular (candidate count)
1							
2							
3							
4							